निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 माघ 1946 (श0)

(सं0 पटना 92) पटना, वृहस्पतिवार, 6 फरवरी 2025

सं0सं0–05/स0 बियाडा (भूमि अधिग्रहण)–04/2025–598
उद्योग विभाग

संकल्प
4 फरवरी 2025

विषयः– **प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के क्रम में मधुबनी जिला अन्तर्गत लौकही अंचल में कुल रकबा–460.71 एकड़ रैयती भूमि एवं इस घोषणा के अतिरिक्त झंझारपुर अंचल में कुल रकबा 252.23 एकड़ रैयती भूमि अर्थात समेकित कुल रकबा–712.94 एकड़ रैयती भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि क्रमशः रु0 1,32,77,66,220.00 (रुपये एक अरब बतीस करोड़ सतहत्तर लाख छियासठ हजार दो सौ बीस) मात्र एवं रु0 1,03,47,69,500.00 (रुपये एक अरब तीन करोड़ सैतालीस लाख उनहतर हजार पाँच सौ) मात्र अर्थात् कुल प्राक्कलित राशि रु0 2,36,25,35,720.00 (रुपये दो अरब छत्तीस करोड़ पच्चीस लाख पैंतीस हजार सात सौ बीस) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

उद्योग विभाग अर्न्तगत बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना द्वारा कुल 09 कलस्टर तथा 84 औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित है, जिसमें कुल भूमि 7592.39 एकड़ थी। वर्तमान में लगभग 1407.00 एकड़ भूमि आवंटन हेतु शेष है। बिहार राज्य में नये उद्योगों की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार किया जाय। बिहार के 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु सैद्धान्तिक सहमति पर मंत्रिपरिषद की दिनांक–12.07.2024 के बैठक में मद संख्या–42 के रूप में स्वीकृति भी प्राप्त है। इस प्रयोजन हेतु उपयुक्त भूमि अधिग्रहित की जायेगी, जहाँ सुलभ संपर्क उपलब्ध हो।

2. (i) राज्य के कुल 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने के क्रम में मधुबनी जिला के दो अंचल, लौकही अंचल अंतर्गत मौजा बनगामा से कुल रकबा–460.71 एकड़ एवं झंझारपुर अंचल अंतर्गत मौजा लोहना से कुल रकबा–252.23 एकड़ अर्थात समेकित कुल रकबा–712.94 एकड़ रैयती भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(ii) कुल रकबा 712.94 एकड़ रैयती भूमि का अधिग्रहण हेतु प्राक्कलित राशि रु0 2,36,25,35,720.00 (रुपये दो अरब छत्तीस करोड़ पच्चीस लाख पैंतीस हजार सात सौ बीस) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. भूमि अधिग्रहण हेतु राशि की निकासी माँग संख्या–23, मुख्यशीर्ष–4885–उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष–02–पिछड़े क्षेत्रों का विकास, लघुशीर्ष–050–भूमि, उप शीर्ष–0101–औद्योगिक विकास के लिए भूमि अर्जन, विपत्र कोड संख्या–23–4885020500101 विषय शीर्ष–0101–53–02 भू–अर्जन मद से चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के अनुपूरक बजट उपबंध एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट उपबंध के माध्यम से प्राप्त कर व्यय किया जायेगा।

4. उपर्युक्त कंडिका 2 पर लोक वित्त समिति की अनुशंसा के उपरांत मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

5. उक्त पर दिनांक–04.02.2025 की मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही के मद संख्या–136 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि बिहार सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।**

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
बृज किशोर चौधरी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 92-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in